केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता पर दिशानिर्देश

01.04.2014 से प्रभावी

लोक उद्यम विभाग

1.0. भूमिका

1.1. भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 लागू किया। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) विषय से संबंधित है। यह उन कम्पनियों के लिए निवल मूल्य, कारोबार और शुद्ध लाभ के आधार पर योग्यता मानदंड निर्धारित करता है, जिन्हें सीएसआर गतिविधियां करनी होती हैं और अन्य बातों के साथ-साथ, कम्पनियों के निदेशक मंडलों द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करता है। कम्पनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल की जाने वाली गतिविधियों को अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम की धारा 135 और अनुसूची VII के प्रावधान सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

1.2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीएसआर नियम (जिन्हें आगे 'सीएसआर नियम' कहा जाएगा) तैयार किए हैं और 27.2.2014 को इन्हें जारी किया गया है। सीएसआर नियम 1.4.2014 से सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू हैं।

1.3. सभी सीपीएसई को अधिनियम और सीएसआर नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सीएसआर नियमों या अधिनियम की अनुसूची VII में अधिसूचित कोई भी संशोधन सीपीएसई पर बाध्यकारी होगा।

1.4. सीएसआर नियमों की अधिसूचना से पहले, दिसंबर 2012 में जारी सीएसआर और संधारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देश 01.04.2013 से सीपीएसई पर लागू थे। डीपीई दिशानिर्देशों में सीएसआर और सतत विकास को पूरक माना गया है और इसलिए इनका एक साथ समाधान किया जाएगा। सीएसआर को संधारणीयता के व्यापक ढांचे के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया। डीपीई के वर्तमान दिशानिर्देशों का उद्देश्य सीएसआर और संधारणीयता की पूरकता को सुदृढ़ करना तथा सीपीएसई को सलाह देना है कि वे कारोबार के संचालन और सीएसआर एजेंडे के अनुसरण में सतत विकास के बृहद उद्देश्य की अनदेखी न करें।

पृष्ठ 3

2.0 सीपीएसई के लिए सीएसआर और संधारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देश

2.1. अधिनियम के सीएसआर प्रावधान, अधिनियम की अनुसूची VII तथा सीएसआर नियम अनुल्लंघनीय हैं। हालाँकि, अधिनियम और सीएसआर नियमों के सीएसआर प्रावधानों के अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीएसआर और संधारणीयता पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं (जिन्हें आगे 'दिशानिर्देश' कहा जाएगा) जो सीपीएसई पर लागू हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशानिर्देश अधिनियम के किसी प्रावधान, अधिनियम की अनुसूची VII, या सीएसआर नियमों का अतिक्रमण या अवहेलना नहीं करेंगे, बल्कि केवल उनके पूरक होंगे। दिशा-निर्देश पहल या प्रयास की प्रकृति के हैं, जिसकी अपेक्षा प्रमुख हितधारक सीपीएसई से उनके निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में करते हैं। ऐसी कोई भी संभावित स्थिति जिसमें सीएसआर नियमों और दिशा-निर्देशों के बीच टकराव हो सकता है, उसकी परिकल्पना नहीं की गई है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआर नियमों और दिशा-निर्देशों के बीच किसी भी कथित विवाद के मामले में, सभी परिस्थितियों में पूर्व के नियम और दिशानिर्देश लागू होगें।

2.2 डीपीई दिशा-निर्देशों के शीर्षक में सीएसआर के साथ संधारणीय शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अधिनियम और सीएसआर नियमों में परिकल्पित सीएसआर गतिविधियों को संधारणीय पहलों के साथ पूरक किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। दिशानिर्देशों में सीएसआर नियमों के अनिवार्य अनुपालन की आवश्यकता के अतिरिक्त संधारणीय संबंधी पहल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। दिशानिर्देशों का उद्देश्य संधारणीयता का एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है, जिसमें सीएसआर को मजबूती से समाहित किया गया है। इसलिए, सीपीएसई को सलाह दी जाती है कि वे सीएसआर नियमों के साथ-साथ दिशानिर्देशों को भी पढ़ें ताकि वे स्पष्ट रूप से समझ सकें कि हितधारकों को उनसे क्या अपेक्षा है।

2.3 अधिनियम में सभी कम्पनियों को सीएसआर नीति बनाने का आदेश दिया गया है, तथा सीएसआर नीति में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी सीएसआर नियमों में निर्दिष्ट की गई है। इस संबंध में अधिनियम और सीएसआर नियमों के अनिवार्य प्रावधानों से कोई विचलन नहीं किया जाएगा। हालांकि, सीपीएसई के

सीएसआर नीति दस्तावेज में एक ध्येय और उद्देशय वक्तव्य भी शामिल होना चाहिए कि सीपीएसई किस प्रकार दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का प्रस्ताव करता है। व्यापक संधारणीय पहलों का भी उल्लेख इसमें किया जाना चाहिए, जिन्हें सीएसपीई शुरू करना चाहता है। चूंकि सीएसआर और संधारणीय संबंधी मामले प्रकृति में पूरक हैं, और दोनों का उल्लेख नीति दस्तावेज़ में किया जाना है, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि इसे 'सीएसआर और संधारणीय' नीति के रूप में संदर्भित किया जाए। नीति दस्तावेज के नामकरण और इसकी सूचना विस्तार में परिवर्तन से किसी भी तरह से सीपीएसई की सीएसआर के प्रति प्रतिबद्धता में कमी नहीं आएगी, या इसकी विषय-वस्तु कमजोर नहीं होगी। बल्कि, यह केवल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए सीपीएसई की स्वेच्छा से कुछ अतिरिक्त कदम उठाने की इच्छा को स्पष्ट करेगा, जो अधिनियम और सीएसआर नियमों में परिकल्पित सीएसआर के दायरे से परे हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने विविध आयामों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ध्यान देने योग्य है।

पृष्ठ 4

2.4 सभी सीपीएसई पर लागू निम्नलिखित दिशा-निर्देश आम तौर पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की प्रकृति के हैं। दिशा-निर्देशों में कुछ अतिरिक्त आवश्यकताएं शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

i) सभी लाभकारी सीपीएसई के लिए अधिनियम और सीएसआर नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियां करना अनिवार्य है। यहां तक कि वे सीपीएसई जो अधिनियम की धारा 135 (1) द्वारा निर्दिष्ट निवल-मूल्य, टर्नओवर या शुद्ध लाभ की सीमा के आधार पर पात्रता मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने पिछले वर्ष लाभ कमाया है, उन्हें भी अधिनियम और सीएसआर नियमों में निर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियां करनी होंगी, और ऐसे सीपीएसई से अपेक्षा की जाएगी कि वे पिछले वर्ष में अर्जित लाभ का कम से कम 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करें।

ii) सभी सीपीएसई को निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी कंपनी के लिए विशिष्ट सीएसआर और संधारणीय नीति अपनानी होगी। सीएसआर का सिद्धांत और भावना एवं संधारणीयता नीति में दृढ़तापूर्वक अंतर्निहित होनी चाहिए और यह अधिनियम के सीएसआर प्रावधानों, अधिनियम की अनुसूची VII, सीएसआर नियमों, दिशानिर्देशों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीति निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। सीपीएसई की सीएसआर और संधारणीय नीति को अधिनियम की अनुसूची VII के अनुसार अपनी सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने के लिए संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करना चाहिए और कार्यान्वयन योग्य योजनाओं के निर्माण के लिए एक रोडमैप प्रदान करना चाहिए।

iii) यदि सीपीएसई को वर्ष के दौरान नई सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू करने की आवश्यकता महसूस होती है, जो कंपनी की सीएसआर नीति में पहले से शामिल सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त हैं, तो ऐसी अतिरिक्त सीएसआर गतिविधियों के लिए बोर्ड की मंजूरी को नीति में संशोधन माना जाएगा।

iv) अधिनियम की धारा 135(1) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी सीपीएसई के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अधिनियम और सीएसआर नियमों में निर्धारित अपनी सीएसआर गतिविधियों के अनुसरण में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करें। औसत शुद्ध लाभ का यह निर्धारित प्रतिशत अधिनियम और सीएसआर नियमों में निर्दिष्ट तरीके से हर वर्ष खर्च किया जाना है। यदि कोई कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो उन्हें खर्च न करने का कारण बताना होगा। तथापि, सीपीएसई के संबंध में किसी विशेष वर्ष में इस राशि को खर्च न करने के कारणों की मात्र रिपोर्टिंग और स्पष्टीकरण करना पर्याप्त नहीं होगा तथा किसी विशेष वर्ष में खर्च न की गई सीएसआर राशि समाप्त नहीं होगी। इसके बजाय इसे उस उद्देश्य के लिए उपयोग हेतु अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था।

v) अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध गतिविधियों से सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का चयन करते समय, सीपीएसई को उन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो राष्ट्रीय विकास एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा आदि।

<u>पृष्ठ 5</u>

सीपीएसई की सीएसआर और संधारणीय नीति का मुख्य केंद्र सतत विकास और समावेशी वृद्धि पर होना चाहिए, जो समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करें। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, वृद्ध महिलाएं/बालिकाएं, शारीरिक रूप से विकलांग आदि शामिल हैं।

vi) सीपीएसई को अपनी मूल क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने तथा सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपनी संसाधन क्षमताओं को जुटाने के लिए, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी सीएसआर और संधारणीय नीति को यथासंभव अपनी व्यावसायिक नीतियों और रणनीतियों के अनुरूप बनाएं, तथा ऐसी सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का चयन करें, जिनकी आंतरिक विशेषज्ञता के माध्यम से बेहतर निगरानी की जा सके।

vii) सभी सीपीएसई से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हर समय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय तरीके से कार्य करें। यहां तक कि अपनी सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में भी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को व्यवसाय को इस प्रकार संचालित करके संधारणीय संबंधी पहलों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, जो व्यवसाय और समाज दोनों के लिए लाभकारी है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने सामान्य व्यवसाय के अनुसरण में की जाने वाली गतिविधियों में भी अपनी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी तथा सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को नजरअंदाज न करें।

राष्ट्रीय और वैश्विक संधारणीयता मानक, जो व्यवसाय में नैतिक प्रथाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, उन्हें संधारणीय पहलों की योजना बनाने, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। लेकिन सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान सतत विकास की दिशा में संधारणीय पहलों पर लाभ से खर्च की गई 2% राशि, अधिनियम और सीएसआर नियमों में निर्धारित सीएसआर व्यय का हिस्सा नहीं होगी।

viii) अपनी संधारणीय पहल के एक हिस्से के रूप में, सीपीएसई से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सामान्य मुख्यधारा की गतिविधियों में भी पर्यावरणीय स्थिरता को महत्व दें, इसके लिए यह सुनिश्चित करें कि उनके आंतरिक प्रचालन और प्रक्रियाएं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दें, अपशिष्ट पदार्थों को कम/पुनः उपयोग/पुनर्चक्रित करें, भूजल आपूर्ति को पुनःस्थापित करें, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा/संरक्षण/पुनर्स्थापना करें, कार्बन उत्सर्जन को कम करें और आपूर्ति श्रृंखला को हरा-भरा बनाने में मदद करें। सीपीएसई से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करें जो उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित और स्वस्थ हों, संसाधन कुशल, उपभोक्ता अनुकूल हों और अपने पूरे जीवन चक्र में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों, अर्थात कच्चे माल को निष्कर्षण से लेकर उत्पादन, उपयोग / उपभोग और अंतिम निपटान तक। हालाँकि, ऐसी संधारणीय पहलों को सीएसआर नियमों में निर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा, और उन पर की गई लागत भी सीएसआर व्यय का हिस्सा नहीं होगी । फिर भी, सीपीएसई को अपने सामान्य बजटीय व्यय से ऐसी संधारणीय पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इससे सतत विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होगी।

ix) संधारणीय पहलों में सीपीएसई द्वारा कर्मचारियों, विशेषकर महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांगों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /ओबीसी श्रेणियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम भी शामिल होंगे, जिसमें कानून द्वारा अनिवार्य की गई सुरक्षा, संरक्षा, पेशेवर समृद्धि और स्वस्थ कार्य स्थितियों से संबंधित उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। यद्यपि इस प्रकार की संधारणीय पहलों पर किया गया व्यय सीएसआर पर किया गया व्यय नहीं माना जाएगा।

पृष्ठ 6

x) सीएसआर और संधारणीयता के सिद्धांत और भावना को सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा समझा और ग्रहण किया जाना चाहिए तथा कंपनी के मूल मूल्यों में अंतर्निहित होना चाहिए।

xi) सीपीएसई को अपनी पहुंच और निगरानी को संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क तक विस्तारित करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहां तक संभव हो, आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, सेवा प्रदाता, ग्राहक और साझेदार भी कंपनी के समान ही निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता के सिद्धांतों और मानकों के प्रति प्रतिबद्ध हों। सीपीएसई को आपूर्ति श्रृंखला को 'हरित' बनाने के उद्देश्य से उपाय प्रारंभ करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

xii) जैसा कि अधिनियम में उल्लेख किया गया है, सीपीएसई को अपनी सीएसआर गतिविधियों के स्थान के चयन में 'स्थानीय क्षेत्र' को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह वांछनीय है कि सीपीएसई के निदेशक मंडल अपने वाणिज्यिक प्रचालन की प्रकृति, समाज और पर्यावरण पर उनके प्रचालन के प्रभाव की सीमा, तथा

प्रमुख हितधारकों, विशेष रूप से उन हितधारकों के सुझावों/मांगों को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणिज्यिक इकाइयों/संयंत्रों/परियोजनाओं के 'स्थानीय क्षेत्र' का दायरा परिभाषित करें, जो कंपनी के वाणिज्यिक प्रचालन/गतिविधियों से सीधे प्रभावित होते हैं। 'स्थानीय क्षेत्र' की परिभाषा सीपीएसई की सीएसआर नीति का हिस्सा हो सकती है।

xiii) स्थानीय क्षेत्र को उचित प्राथमिकता देने के पश्चात्, सीपीएसई देश में कहीं भी सीएसआर गतिविधियां संचालित कर सकते हैं। प्रत्येक सीपीएसई का निदेशक मंडल स्थानीय क्षेत्र और उसके बाहर सीएसआर के खर्च के सांकेतिक अनुपात पर भी निर्णय ले सकता है, और इसका उल्लेख सीपीएसई की सीएसआर नीति में किया जा सकता है। जिन सीपीएसई के व्यवसाय की प्रकृति के कारण उनके पास वाणिज्यिक प्रचालन का कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, वे देशभर में अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं चला सकते हैं।

xiv) जहां तक संभव हो, सीपीएसई को परियोजना में सीएसआर गतिविधियां शुरू करनी चाहिए, जिसमें विभिन्न महत्तवपूर्ण पहलुओं पर लक्ष्य निर्धारित करके कार्यान्वयन के चरणों की अग्रिम योजना बनाना, आवंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा का पूर्व आकलन करना तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समयावधि रखना शामिल है।

xv) सीपीएसई को कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों और संधारणीय पहलों के संबंध में प्रमुख हितधारकों के विचारों और सुझावों को जानने के लिए उनके साथ नियमित संवाद और परामर्श के लिए एक संचार रणनीति तैयार करनी चाहिए। यद्यपि सीएसआर गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में अंतिम निर्णय सीपीएसई के बोर्ड का होगा।

xvi) सीएसआर नियमों के अनुसार, सभी कंपनियों को अपने बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल करना आवश्यक है। सीएसआर नियमों द्वारा प्रदान किए गए सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए टेम्पलेट/प्रारूप का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

<u>पृष्ठ 7</u>

यद्यपि, सीपीएसई को दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई पर एक संक्षिप्त विवरण भी बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करना होगा ताकि हितधारकों को न केवल सीएसआर गतिविधियों के बारे में बल्कि सीपीएसई द्वारा की गई संधारणीय पहलों के बारे में भी जानकारी मिल सके। सीपीएसई को वार्षिक संधारणीय रिपोर्ट तैयार करने की भी सलाह दी गई है, जो ब्रांड के छवि में सुधार के अतिरिक्त कंपनी के प्रचालन में अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी प्रदान करने में सहायक होगी।

xvii) यह वांछनीय है कि सीपीएसई किसी भी सीएसआर गतिविधि के चयन से पहले आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण करवा लें। यह भी वांछनीय है कि सीपीएसई को उनके द्वारा

की गई सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का प्रभाव आकलन अध्ययन बाह्य एजेंसियों द्वारा करवाना चाहिए। बृहद परियोजनाओं के लिए प्रभाव आकलन अनिवार्य है, जिसका प्रारंभिक मूल्य सीपीएसई के बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है तथा इसको सीएसआर और संधारणीय नीति में निर्दिष्ट किया जा सकता है। यद्यपि, आधारभूत सर्वेक्षण और प्रभाव आकलन अध्ययन पर किया गया व्यय, सीएसआर नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीएसआर व्यय के प्रशासनिक उपरिव्यय के 5% की समग्र सीमा के भीतर होना चाहिए।

xviii) अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम की अनुसूची VII और सीएसआर नियमों के अंतर्गत, सीपीएसई को उनकी सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं के अधिक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए अन्य सीपीएसई के साथ मिलकर सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

xix) सीएसआर एवं संधारणीयता पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत 2013-14 में सीपीएसई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं, जो 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी थीं, उनके पूरा होने तक जारी रखी जा सकती हैं। हालांकि, सीपीएसई को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नई सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं सीएसआर नियमों के अनुरूप हों।

xx) सीपीएसई जो सांविधिक निगम हैं, उन्हें भी अधिनियम, सीएसआर नियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

xxi) ये दिशानिर्देश सीएसआर और संधारणीयता पर डीपीई द्वारा पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों/परिपत्रों/निर्देशों का स्थान लेंगे।